

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह-9 / 12 पार्ट

जयपुर, दिनांक :-

6 MAR 2018

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि निम्न आदेश जारी किया जाना लोकहित में आवश्यक है।

यतः राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.20(2)गृह-9 / 12 पार्ट, जयपुर, दिनांक 06-03-2018 द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 के प्रयोजन के लिए आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड्डताल किये जाने को एतद्वारा दिनांक 31.07.2018 तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—  
—  
—

(चेतन देवड़ा)

शासन संयुक्त सचिव

गृह (आपदा प्रबन्धन)विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान / पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
4. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलकर्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
8. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक ..... के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।

www.rajteachers.com

6 MAR 2018

शासन संयुक्त सचिव,  
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह-9 / 12 पार्ट

जयपुर, दिनांक :— 6 MAR 2018

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड्डताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्द्वारा दिनांक 31.07.2018 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—८८—

(चेतन देवड़ा)

शासन संयुक्त सचिव

गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलकटर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
8. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक ..... के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6 MAR 2018

www.rajteachers.com

शासन संयुक्त सचिव,  
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग